न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी– श्री बाल मुकुन्द असावा, आई.ए.एस.

अपील संख्या– 27 / 2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023 / 122

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट**
राजस्थान सरकार जरिये, ओमेन्द्र कुमार प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय, नागौर		1. श्री रूपाराम पुत्र श्री नारायणराम निवासी परबतसर (मालिक मैसर्स आरती गैस रिपेयरिंग, परबतसर) 2. श्री भीयांराम पुत्र श्री नारायणराम निवासी परबतसर (कर्मचारी मैसर्स आरती गैस रिपेयरिंग, परबतसर)

अपील अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए. सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में जब्तसुदा सामग्री के निस्तारण बबात्।

उपस्थित :–

1. **अपीलांट की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) श्री ओमेन्द्र कुमार**
2. **रेस्पोडेन्ट की ओर से वकीलश्री राजेन्द्र कुमार माथुर**

–: निर्णय :–

दिनांकः 08.04.2024

अपील के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 17.12.2022 को श्री फारूख अली खान हमराह श्री ओमेन्द्रकुमार प्रवर्तन निरीक्षक परबतसर द्वारा घरेलू गैस की व्यवसायिक दुरूपयोग की रोकथाम बाबत मैसर्स आरती गैस रिपेयरिंग, परबतसर पर आकस्मिक जांच की गई। वक्त मौके पर श्री भीयाराम पुत्र श्री नारायणराम एवं श्री रूपाराम पुत्र श्री नारायणराम उपस्थित मिले। जिन्होनें मौके निरीक्षण करवाया। मौके पर 3 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर एवं एक रिफिलिंग बांसुरी (यंत्र) पाया गया। इस प्रकार आरती गैस के मालिक द्वारा व्यवसायिक गैस सिलेण्डर से अन्य सिलेण्डर में रिफिलिंग का कार्य किया जा रहा था। श्री रूपाराम से व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों के भण्डारण एवं अन्य गैस सिलेण्डर में रिफिलिंग करने से सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र के बारे में पूछताछ करने पर इनके पास गैस के भण्डारण व रिफिलिंग से सम्बन्धित किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र नहीं होना स्वीकार किया। मौकें पर उपस्थित श्री रूपाराम द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञा[illegible] नहीं [illegible] व्यवसायिक गैस सिलेण्डर मय गैस को अवैध मानते हुए मौके पर जब[illegible]रके [illegible] किया गया। जब्त किये गये सिलेण्डरों का विवरण निम्नानु[illegible] है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.05.06 15:38:20 IST
Reason: SelfAttested

क. सं.	नाम कम्पनी	[illegible]	गैस [illegible]
1.	इण्डेन 19 किग्रा	[illegible]750	[illegible]4.2 किग्रा
2.	इण्डेन 5 किग्रा	039236	खाली
3.	इण्डेन 19 किग्रा	344890	13.21 किग्रा

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

उपरोक्त व्यवसायिक गैस सिलेण्डर के 03 सिलेण्डर मय गैस को मौके पर जब्त सरकार कर मैसर्स परबतसर इण्डेन गैस परबतसर के प्रतिनिधि श्री रूपाराम की सुपुर्दगी में दिये गये है।

इस प्रकार श्री रूपाराम एवं भीयांराम का यह कृत्य लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर – 2000 के क्लॉज 3(ब), 7(1),(a),(b),(c) का स्पष्ट उल्लघन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण में व्यवसायिक गैस ससिलेण्डर के 03 सिलेण्डर मय गैस को धारा 6 ए. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत समपहरण (confiscation) के आदेश प्रदान करावें।

अपील दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की तरफ से वकील श्री राजेन्द्र कुमार माथुर ने वकालतनामा पेश किया।

वकील अप्रार्थी ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में हम अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय नागौर द्वारा पूर्ण रूप से गलत बनाया है। इस प्रकरण में किसी प्रकार से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6(ए) के प्रावधान लागु नहीं होते है। वस्तुतः अप्रार्थी पक्ष किसी प्रकार से अपने व्यावसायिक गैर सिलेण्डर से कोई अन्य सिलेण्डर से घरेलु सिलेण्डर नहीं भर रहे थे और कोई व्यवसायिक सिलेण्डर से घरेलु सिलेण्डर क्यों भरेगा। जबकि व्यवसायिक सिलेण्डर की गैस तो घरेलु सिलेण्डर से मंहगी आती है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रमाण किसी प्रकार से माने जाने योग्य नहीं है। अप्रार्थी गैस चुल्हे रेग्यूलेटर आदि ठीक करने का केवल मेकेनिक का कार्य करता है और किसी खराब चुल्हे या रेगुलेटर को ठीक करने के पश्चात अप्रार्थी अपने व्यवसायिक सिलेण्डर से उसे ठीक प्रकार से चेक करते है और यही कार्य अप्रार्थी करते है। उक्त अभियोजन के आवेदन में वर्णित कार्य न तो अप्रार्थी ने किया और न कर सकते है। उक्त आवेदन के साथ जो निरीक्षण पर्चा सुपुदर्गीनामा अभिग्रहण की फदे आदि जो अभियोजन ने पेश की है। उस पर कहीं भी अप्रार्थी रूपाराम व भींवाराम के हस्ताक्षर नहीं है। जिस रूपाराम के हस्ताक्षर बताये गये है वह रूपाराम तो अन्य व्यक्ति है, जो किसी उगमाराम का पुत्र है जो फर्द अभिग्रहण से साबित है जो गैस सिलेण्डर की कम्पनी पर सुपुर्दगी का काम करता है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी रूपाराम व भींवाराम निवासी परबतसर के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रकरण प्रथम दृष्टया नहीं बनता है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी पक्ष के विरूद्ध उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही ड्रोप किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करावें।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी बहस में अपील में दर्ज कथनों को दोहराया तथा प्रकरण में व्यवसायिक गैस ससिलेण्डर के 03 सिलेण्डर मय गैस को धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत समपहरण (confiscation) के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय नागौर द्वारा पूर्ण रूप से गलत बनाया है। वस्तुतः अप्रार्थी पक्ष किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.05.06 16:38:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डूंगरपुर–कुचामन

प्रकार से अपने व्यावसायिक गैर सिलेण्डर से कोई अन्य सिलेण्डर से घरेलु सिलेण्डर नहीं भर रहे थे और कोई व्यवसायिक सिलेण्डर से घरेलु सिलेण्डर क्यों भरेगा। जबकि व्यवसायिक सिलेण्डर की गैस तो घरेलु सिलेण्डर से मंहगी आती है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रमाण किसी प्रकार से माने जाने योग्य नही है। अप्रार्थी गैस चुल्हे रेग्यूलेटर आदि ठीक करने का केवल मेकेनिक का कार्य करता है और किसी खराब चुल्हे या रेगुलेटर को ठीक करने के पश्चात अप्रार्थी अपने व्यवसायिक सिलेण्डर से उसे ठीक प्रकार से चेक करते है और यही कार्य अप्रार्थी करते है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी रूपाराम व भींवाराम निवासी परवतसर के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रकरण प्रथम दृष्टया नहीं बनता है। अप्रार्थी पक्ष के विरूद्ध उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही ड्रोप किये जाने का निवेदन किया।

बहस के तर्को पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। प्रश्नगत प्रकरण में प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 17.12.2022 को की गई निरीक्षण रिपोर्ट को आधार बनाया गया है। निरीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। निरीक्षण रिपोर्ट में 02 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर बिना वैध कनेक्शन के होना बताते हुए जब्त किये गये। साथ ही व्यावसायिक सिलेण्डर से घरेलु गैस रिफलिंगकरने का आरोप भी लगाया गया। अप्रार्थी ने व्यावसायिक सिलेण्डर के दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश किये। जिसमें से एक व्यावसायिक गैस सिलेण्डर रूपाराम के नाम स्वीकृत है जिसका उपभोक्ता क्रमांक 29816991 है तथा एक व्यावसायिक गैस सिलेण्डर नारायणराम के नाम स्वीकृत है जिसके उपभोक्ता क्रंमाक 7070605133 है। उक्त दोनों दस्तावेजों को दौराने बहस प्रवर्तन निरीक्षक ने भी सही होना स्वीकार किया।

प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा व्यावसायिक गैस में अवैध रिफलिंग का आरोप लगाया। इसके संबंध में एक बांसुरी नामक उपकरण को जब्त करना बताया। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा यह उपकरण क्या है तथा इसको किस प्रकार से गैस रिफलिंग में उपयोग किया जा सकता है। यह तथ्य कहीं जिक्र नहीं किया है तथा न ही अपने पंचनामें व निरीक्षण रिपोर्ट में रिफलिंग किया जाना अथवा रिफल किया हुआ सिलेण्डर प्रमाणित किया है।

उक्त तथ्यों के आधार पर यह प्रमाणित है कि जब्त किये गये सिलेण्डर वैध दस्तावेजों के आधार पर लिये गये थे। अवैध रिफलिंग का होना नहीं पाया गया तथा न ही प्रमाणित है। अतः प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन व आधारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 08.04.2024 को सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.05.06 16:38:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन